

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन बीजापुर
जिला- बीजापुर (छ0ग0)
// संशोधित निविदा सूचना //

क्रमांक / 488/जि.नि./निविदा/स्था./2021

बीजापुर दिनांक 01.09.2021

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 466/जि.नि./निविदा/स्था./2021 बीजापुर दिनांक 18.08.2021 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता दिनांक 01.01.2022 हेतु इस बीजापुर जिले के एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर की फोटोयुक्त मतदाता सूची के मुद्रण कार्य एवं बीएलओ वर्किंग कॉपी मुद्रण का कार्य हेतु सशर्त निविदा दिनांक 27 अगस्त 2021 शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे तक आमंत्रित की गई थी। निर्धारित संख्या से कम निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः संशोधित निविदा नीचे दिये गये शर्तों के अधीन इच्छुक स्थानीय फर्मों से बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 15 सितम्बर 2021 बुधवार को दोपहर 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा समिति के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा दिनांक 16 सितम्बर 2021 को सांझ 4:00 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें :-

12. निविदा के तहत निविदाकार को अपने निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया, बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर के नाम देय होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15.09.2021 सायं 30.00 तक है, असफल निविदाकारों के अमानत राशि तत्काल वापसी योग्य होगा। सफल निविदाकार को जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ 7 दिवस के अंदर करारनामा करना होगा एवं सुरक्षानिधि के रूप में निविदाकार को उपरोक्त कार्य के लिये जमा करना होगा। निर्धारित तिथि में मुद्रण नहीं करने पर आर्थिक दण्ड जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर द्वारा किया जावेगा।
13. फोटोयुक्त मतदाता सूची (फोटोरोल) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप, साईज अनुसार लेजर प्रिंटर से कागज ए-4, 80 जीएसएम कर डिजिटल प्रिंट की जायेगी-फोटो कॉपी नहीं।
14. निविदा फार्म (जिसका मूल्य 100.00रु.) है। जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य निर्वाचन) बीजापुर में किसी भी दिन (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।
15. निविदाकारों को निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म की वैधानिकता, क्षमता एवं तकनीकी अनुभव, उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, आपरेटर्स तथा कार्य क्षमता पचास हजार प्रतिदिन लेजर प्रिंटर से डिजिटल प्रिंटर का कार्य क्षमता आदि के बारे में विवरण पृथक से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. निविदाकार को 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

17. निविदाकार को येन नम्बर, टीन नम्बर, जीएसटी नम्बर की प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
18. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य निर्वाचन) बीजापुर से प्राप्त की जा सकती है।
19. फोटोयुक्त मतदाता सूची/बीएलओ वर्किंग कॉपी सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रवार (भागवार) तैयार की जावेगी।
20. प्रत्येक मतदान केन्द्रों को फोटोयुक्त मतदाता सूची के द्वितीय पृष्ठ उस भाग का नजरी नक्शा भी प्रिंट होगा। डिजिटल मैप की डाटा सी.डी. जिला निर्वाचन कार्यालय बीजापुर से प्रदाय की जावेगी।
21. मतदाता सूची के पी.डी.एफ. की छपाई में त्रुटि होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
22. निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर की होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-बीजापुर (छ0ग0)

पू0क्रमांक / ~~188A~~ जि.नि. / निविदा / स्था. / 2021

बीजापुर दिनांक 01.09.2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, शास्त्री चौक, गुराना मंत्रालय परिसर रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, एवं सैल आर्ज्वर, बस्तर संभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छ0ग0 को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय बीजापुर को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र बीजापुर एन.आई.सी. बीजापुर को जिले के वेबसाइट में अपलोड हेतु सूचनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अग्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बीजापुर/भैरमगढ़/भोपालपटनम/उसूर (आ0) को अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. सूचना पटल में चस्था हेतु।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-बीजापुर (छ0ग0)